

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन

चालंग हिल्स, पो.ऑ.-कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

दूरभाष संख्या: 0135-2975566, टोलफ्री नं.: -18002709818

वेबसाईट:-urtsc.uk.gov.in, ई-मेल:-ukrtsc@gmail.com

पत्रांक:- 242 / 2023-2024 /

दिनांक: 16 फरवरी, 2024

शिकायत सं.: -C-lj2401250202USN

नोटिस

अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता

श्री अक्षत अरोरा, पुत्र श्री शिव कुमार अरोरा पता-
पुराना आवास विकास, शुभ विहार कॉलोनी,
ब्रह्मकुमारी आश्रम के पास, काशीपुर,
जिला-ऊधमसिंह नगर।

बनाम

प्रतिपक्षी

पदाभिहित अधिकारी / उप जिलाधिकारी, काशीपुर,
तहसील- काशीपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर।नोटिस धारा 17(1)(ख), (2) एवं (3)

शिकायतकर्ता श्री अक्षत अरोरा पुत्र श्री शिव कुमार अरोरा ने अपने प्रार्थना-पत्र जो आयोग कार्यालय में दि. 24.01.2024 को प्राप्त हुआ, में शिकायत दर्ज की है कि उनके द्वारा दि. 21.12.2023 को स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था जिसमें उनके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र/साक्ष्य उपलब्ध कराये गये थे, फिर भी उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है।

2. अतः शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 17(1)(ख), के अधीन शिकायत/अपील के रूप में दोनों पक्षों की सुनवाई किये जाने के उद्देश्य से दि. 20.03.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे का समय निर्धारित किया जाता है।

3. सम्बन्धित शिकायत को पदाभिहित अधिकारी/उप जिलाधिकारी, काशीपुर, तहसील-काशीपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वे दि. 20.03.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे निम्न अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रकरण से भिन्न अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो द्वितीय श्रेणी अधिकारी स्तर से निम्न का न हो, को आयोग में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें :-

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जो भी साक्ष्य हेतु अभिलेख संलग्न किये गये हों, की छाया प्रतियां।
2. आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का स्पष्ट कारण।

(गिरीश चन्द्र गुणवन्त)
रजिस्ट्रार।

o/c

प्रतिलिपि (पंजी.):-

श्री अक्षत अरोरा, पुत्र श्री शिव कुमार अरोरा पता- पुराना आवास विकास, शुभ विहार कॉलोनी, ब्रह्मकुमारी आश्रम के पास, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि दि. 20.03.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा मोबाइल नम्बर- 7617579041 पर फोन कॉल के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं।

(गिरीश चन्द्र गुणवन्त)
रजिस्ट्रार।

o/c